राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–1213/2015/अलवर

श्री अमरचंद पुत्र श्री मदनलाल जाति यादव निवासी
ग्राम उमरेन तहसील व जिला अलवर .....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये उप–पंजीयक अलवर
2. बाबूलाल)
3. सूका उर्फ रामस्वरूप)पुत्रान प्रभाती जाति यादव
4. धर्मचन्द)
5. जयराम पुत्र श्री गिरीराज प्रसाद जाति सैनी
   समस्त निवासी ग्राम उमरेन
   तहसील व जिला अलवर

.....अप्रार्थीगण

खण्डपीठ
श्री मदनलाल, सदस्य
श्री नत्थूराम, सदस्य

अनुपस्थित .....प्रार्थी की ओर से

श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय, अभिभाषक। .....अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.09.2016

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी श्री अमरचंद पुत्र श्री मदनलाल द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), अलवर द्वितीय (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 06.07.2015 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें कलक्टर (मुद्रांक) ने उप पंजीयक अलवर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण मुद्रांक अधिनियम की धारा 37 में दर्ज किया गया है। अप्रार्थी श्री बाबूलाल, सूका, धर्मचन्द, पुत्रान प्रभाती एवं अन्य के द्वारा प्रकरण में आक्षेपित राशि जमा कराने हेतु न्यायालय में दिनांक 06.07.2015 को प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रकरण अनुसार एक इकरारनामा श्री तुलसीराम पुत्र श्री कन्हैयालाल ने उपरोक्त परिवादियों को दिनांक 29.07.1992 को तहरीर दिया गया था जिसे नोटेरी द्वारा दिनांक 30.07.1992 को तस्दीक किया गया। उक्त इकरारनामें में खसरा नम्बर 830 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, 831 रकबा 18 बिस्वा, 832 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 833 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 845 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 1082 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 1085 रकबा 6 बिस्वा, 1086 रकबा 9 बिस्वा कुल किता 8 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा आराजी वाकै उमैरण डहरी प्रथम का 2,73,000/– रू. तहरीर किया गया था। जिसका मुकदमा न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश प्रथम पर दावा संख्या 374/11 पर पंजीबद्ध है की मूल्यांकन हेतु माननीय न्यायालय ने पत्र संख्या 512 दिनांक 03.04.2015 से उक्त दस्तावेज पर मुद्रांक कर निर्धारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को भेजा गया था। उप पंजीयक द्वारा मौका देखकर विवादित आराजी की कीमत 96,43,095/– रू.

लगातार.....2

आंकी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश में यह ठहराया गया कि प्रस्तुत इकरारनामा के आधार पर अप्रार्थी से पूर्ण रकम प्राप्त कर ली है। कोई राशि शेष नहीं है एवं आराजी पर कब्जा दे दिया है। उक्त आधार पर यह दस्तावेज इकरारनामा न बनकर बैयनामा की श्रेणी में आता है। तदानुसार राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की आर्टिकल 21 के तहत बाजार भाव के तहत 5 प्रतिशत मुद्रांक कर 4,82,155/– रू. सरचार्ज 48,215/– रू. पंजीयन शुल्क शून्य कुल 5,30,370/– रू. पर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.07.2014 व 09.03.2015 के अनुसार दस्तावेज की निष्पादन दिनांक से 29.07.1992 से निर्णय दिनांक तक शास्ती 10,60,740/– रू. एवं ब्याज 14,59,755/– रू. कुल 30,50,865/– रू. अप्रार्थी से वसूल किये जाने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

3. निगरानी एडमिशन स्टेज पर इस पीठ के समक्ष प्रस्तुत हुई। निगरानीकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया व अप्रार्थी संख्या 1 राज्य पक्ष की ओर से श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित आये।

4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि निगरानीकर्ता ने राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की धारा 65 के परन्तुक के प्रावधान की पालना में वसूली राशि के 25 प्रतिशत का संदाय नहीं किया है जिससे निगरानी ग्राहयता के बिन्दू पर ही खारिज योग्य है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल्यांकन भी सही किया गया है। अतः निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

6. निगरानीकर्ता ने इस निगरानी के साथ वसूली राशि के 25 प्रतिशत राशि संदाय करने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस संबंध में निगरानीकर्ता को बार–बार अवसर भी प्रदान किया है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की धारा 65 के परन्तुक के प्रावधान के अनुसार पुनरीक्षण आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जा सकता जब तक कि वसूली राशि के 25 प्रतिशत का संदाय किये जाने का समाधानप्रद सबूत उसके साथ नहीं लगा हुआ हो। चूंकि निगरानीकर्ता ने इस प्रावधान की पालना नहीं की है जिससे प्रकरण ग्राहयता के स्तर पर ही खारिज योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी ग्राहयता के स्तर पर ग्राहय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थू राम)
सदस्य

(मदन लाल)
सदस्य